



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21—जनवरी 27, 2017 (माघ 1, 1938)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21—JANUARY 27, 2017 (MAGHA 1, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई—400001, दिनांक 29 सितम्बर 2016

बैवि.आईबीडी. सं. 3878/23.13.020/2016-17—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :—

“द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी”

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

ए एण्ड एस क्र. 06/2016-17—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक श्री अमूल्य कुमार साहू, (विशेष कार्य अधिकारी), सहयोगी एवं अनुषंगी विभाग, भारतीय स्टेट बैंक,

मुंबई को श्री विजय कुमार मोंगा के स्थान में निम्नलिखित सहयोगी बैंकों में तत्काल प्रभाव से निदेशक पद पर नामित करता है :

- i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
- ii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- iii) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- iv) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- v) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

दिनांक 19 अक्टूबर 2016

ए एण्ड एस क्र. 07/2016-17—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगी), कारपोरेट केन्द्र, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई को तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक, निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है :-

1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक आफ मैसूर
4. स्टेट बैंक आफ पटियाला
5. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

दिनांक 24 अक्टूबर 2016

ए एण्ड एस क्र. 08/2016-17—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 (1) के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के निदेशक मंडल और भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा भारत सरकार से अनुमोदन के बाद, श्री दिबाकर मोहंती को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंध निदेशक पद पर 1 नवंबर 2016 या उस के बाद पद कार्यग्रहण तिथि से 31 जनवरी 2018, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है, तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 29th September 2016

DBR.IBD.No.3878/23.13.020/2016-17—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following:

“The Royal Bank of Scotland plc”

SUDARSHAN SEN
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 17th October 2016

A&S No. 06/2016-17—In terms of Clause (c), sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri Amulya Kumar Sahu, General Manager (OSD), A&S

Department, State Bank of India, Mumbai, as a Director on the Board of the following Associate Banks in place of Shri Vijay Kumar Monga with immediate effect:

- i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- ii) State Bank of Hyderabad
- iii) State Bank of Mysore
- iv) State Bank of Patiala
- v) State Bank of Travancore

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

The 19th October 2016

A&S No. 07/2016-17—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has nominated Shri Dinesh Kumar Khara, Managing Director (Associates & Subsidiaries) as Director on the Boards of the following Associate Banks with immediate effect until further orders:

- i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- ii) State Bank of Hyderabad
- iii) State Bank of Mysore
- iv) State Bank of Patiala
- v) State Bank of Travancore

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

The 24th October 2016

A&S No. 08/2016-17—In terms of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur and the Reserve Bank of India and with the approval of Government of India, have appointed Shri Dibakar Mohanty as Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur from the date he assumes charge on or after 1st November 2016 and till 31st January 2018, i.e. the date of his superannuation from the Bank or until further orders, whichever is earlier.

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in